

श्रीमती अरुंधति बालकृष्ण

बनाम

आय कर आयुक्त

मार्च 1,1989

[आर. एस. पाठक, मुख्य न्यायाधीश और रंगनाथ मिश्रा, न्यायाधिपतिगण]

आयकर अधिनियम, 1961-एस. 161(1) सपठित धारा 166 - ट्रस्ट से प्राप्त निर्धारिती की आय की गणना - ट्रस्ट की वास्तविक आय को उस आय के संबंध में अनुमेय कटौती की विभिन्न वस्तुओं पर विचार करने के बाद निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया जाएगा।

अपीलकर्ता एक निर्धारिती था जिसने एक ट्रस्ट से आय प्राप्त की थी। निर्धारण वर्ष 1964-65 और 1966-67 के लिए, आयकर अधिकारी ने निवेश के लिए एक एस्टेट खाते से निकाली गई राशि के लिए ट्रस्ट द्वारा भुगतान किए गए ब्याज के रूप में दावा की गई दो राशियों की कटौती को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि संपत्ति से निकाली गई राशि का एक हिस्सा खाते का उपयोग निर्धारिती द्वारा व्यक्तिगत व्यय के लिए किया गया था। सहायक आयुक्त के समक्ष अपीलकर्ता की पहली अपील खारिज कर दी गई, उसने मूल्यांकन वर्ष 1964-65 के संबंध में एक अतिरिक्त प्रश्न उठाते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण में दूसरी अपील की कि वह केवल उससे प्राप्त शुद्ध आय पर कर के लिए उत्तरदायी थी। ट्रस्ट और ट्रस्ट के मामले में

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आय पर नहीं। न्यायाधिकरण ने अपीलों को खारिज कर दिया, लेकिन अपीलकर्ता के कहने पर उसमें उत्पन्न कानून के दो प्रश्नों को उच्च न्यायालय में भेज दिया, जिसका उत्तर निर्धारिती के खिलाफ था।

अपीलें खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया

यह ट्रस्ट के खाते की किताबों में दिखाई गई आय नहीं है जो वास्तव में ट्रस्ट के हाथों प्राप्त आय में से कटौती के बाद निर्धारिती को भुगतान की गई है, लेकिन ट्रस्ट की वास्तविक आय को उस आय के संबंध में अनुमेय कटौती की विभिन्न वस्तुओं पर विचार करने के बाद निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया जाना चाहिए। [869 ई-एफ]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 161(1) से जाहिर है कि एक प्रतिनिधि निर्धारिती, यानी एक ट्रस्टी, उस आय के संबंध में जिसके संबंध में वह एक प्रतिनिधि निर्धारिती है, समान कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और देनदारियों के अधीन है। आय उसके द्वारा लाभकारी रूप से प्राप्त या उपार्जित या उसके पक्ष में आय थी, और वह उस आय के संबंध में अपने नाम पर मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है; लेकिन ऐसा कोई भी मूल्यांकन उस पर केवल उसकी प्रतिनिधि क्षमता में किया गया माना जाता है, और उस पर उसी तरीके से और उसी सीमा तक कर लगाया और वसूला जाता है, जिस सीमा तक वह उसे प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति पर लगाया और

वसूल किया जा सकता है और अधिनियम की धारा 166 स्पष्ट करती है कि एक प्रतिनिधि निर्धारिती के दायित्व से संबंधित प्रावधान न तो उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष मूल्यांकन को रोकेंगे जिसकी ओर से या जिसके लाभ के लिए आय प्राप्य है, या ऐसे व्यक्ति से ऐसी आय पर देय कर की वसूली को नहीं रोकेंगे। आयकर अधिकारी के पास या तो ट्रस्टी के खिलाफ या लाभार्थी के खिलाफ आगे बढ़ने का विकल्प होता है, लेकिन दोनों ही मामलों में मूल्यांकन की जाने वाली आय एक ही आंकड़े में होनी चाहिए। ट्रस्टी को लाभार्थी से संबंधित आय के रूप में जो प्राप्त होता है, वह उस आय को लाभार्थी को देने के दायित्व के तहत प्राप्त होता है। हालाँकि, ज्यादातर मामलों में प्रशासन शुल्क और खर्चों को ट्रस्ट की आय से पूरा किया जाना है और यह केवल शुद्ध आय है जो लाभार्थी तक पहुंचती है। यदि आय को सीधे लाभार्थी के पास जाना है और किसी ट्रस्टी के माध्यम से ट्रस्ट के अधीन नहीं है, तो लाभार्थी को समान रूप से उन खर्चों को पूरा करना होगा, जिससे उसके हाथों में शुद्ध आय रह जाएगी, जिसे आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कम करने के बाद अधिनियम के तहत स्वीकार्य कटौतियों द्वारा सकल आय की गणना की जाएगी।

(868 एच; 869 ए-ई)

(ii) निर्धारिती के विरुद्ध कटौती के रूप में दावा किए गए ब्याज के हिस्से की अस्वीकृति से संबंधित प्रश्न का निर्णय करने में उच्च न्यायालय सही था। [868 एफ]

पद्मावती जयकृष्ण बनाम अपर आयकर आयुक्त, गुजरात, (1987)

166 आई.टी.आर. 176, संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 80 और 81/1975

गुजरात उच्च न्यायालय के आई.टी. रेफरेंस संख्या 7 और 29/1973 में के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से एस.सी. पटेल।

प्रतिवादी की ओर से डॉ. वी. गौरी शंकर और सुश्री ए. सुभाषिनी।

न्यायालय का निर्णय पाठक, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

अपीलकर्ता एक निर्धारिती है जो श्रीमती अरुंधति बालकृष्ण ट्रस्ट, अहमदाबाद से आय सहित विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करता है। निर्धारण वर्ष 1964-65 की मूल्यांकन कार्यवाही में आयकर अधिकारी ने पाया कि हरिवल्लभदास कालिदास एस्टेट खाते में ब्याज के रूप में अहमदाबाद ट्रस्ट की पुस्तकों में रखे गए ब्याज खाते से रूपये 10,880/- की राशि निकाली गई थी। आगे की जांच करने पर, उन्होंने पाया कि कुल 2,19,804 रुपये के पर्याप्त डेबिट में निर्धारिती के व्यक्तिगत खर्चों के कारण अहमदाबाद ट्रस्ट द्वारा एस्टेट खाते से निकासी शामिल थी। निवेश के उद्देश्य से अहमदाबाद ट्रस्ट द्वारा एस्टेट खाते से पहले की निकासी और वर्ष के दौरान जमा के लिए समायोजन करने के बाद, आयकर अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि

व्यक्तिगत व्यय के लिए एस्टेट खाते से शुद्ध निकासी 3,10,806 रुपये थी। उन्होंने माना कि अहमदाबाद ट्रस्ट द्वारा एस्टेट खाते में भुगतान किया गया कुल ब्याज 10,880 रुपयेमें से आनुपातिक ब्याज 6,199 रुपये है, ऐसी निकासी के लिए संदर्भित था, और इसलिए एक अस्वीकार्य कटौती का गठन किया गया। इसी तरह, निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिए आयकर अधिकारी ने पाया कि संबंधित पिछले वर्ष के लिए अहमदाबाद ट्रस्ट के खाते की किताबों में संपत्ति खाते में भुगतान किए गए ब्याज के रूप में 25,496 रुपये की राशि दिखाई गई थी। उन्होंने इस राशि में से रु. 12,833 की राशि अपने पास रखी। निवेश के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए निकासी के संदर्भ में था, और तदनुसार उन्होंने उस सीमा तक ब्याज के दावे को अस्वीकार कर दिया।

निर्धारिती ने अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के पास अपील की, और वहां असफल होने पर वह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दूसरी अपील में आगे बढ़ा, और दावा किया कि ब्याज की पूरी राशि को प्रत्येक वर्ष के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए थी। निर्धारण वर्ष 1964-65 के संबंध में एक अतिरिक्त प्रश्न उठाया गया। इस बिंदु से संबंधित है कि क्या निर्धारिती केवल ट्रस्ट से प्राप्त शुद्ध आय पर कर के लिए उत्तरदायी थी या ट्रस्ट के मामले में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आय पर। अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारिती की अपील खारिज कर दी।

निर्धारिती के कहने पर अपीलीय न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन वर्ष 1964-65 के संबंध में कानून के निम्नलिखित प्रश्नों को गुजरात उच्च न्यायालय को भेजा:

"(1) क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल यह मानने में सही था कि 10,880 रुपये के ब्याज भुगतान में से, 6,199 रुपये अन्य स्रोत आय के विरुद्ध स्वीकार्य कटौती नहीं थी?

(2) क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर, निर्धारिती की कुल आय में शामिल आय ट्रस्ट के मामले में आयकर, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आय है या उक्त ट्रस्ट से निर्धारिती द्वारा प्राप्त आय?"

निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया प्रश्न था:

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल यह मानने में सही था कि 25,496 रुपये के ब्याज भुगतान में से, 12,833 रुपये अन्य स्रोतों से आय के खिलाफ स्वीकार्य कटौती नहीं थी?"

उच्च न्यायालय ने माना कि दो मूल्यांकन वर्षों के लिए ब्याज के हिस्से की अस्वीकृति से संबंधित प्रश्न निर्धारिती के खिलाफ और राजस्व के

पक्ष में सही निर्णय लिया गया था। निर्धारण वर्ष 1964-65 के संदर्भ में दूसरे प्रश्न पर, उच्च न्यायालय ने माना कि निर्धारिती की कुल आय में शामिल आय ट्रस्ट के मामले में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आय थी और न कि ट्रस्ट से निर्धारिती द्वारा वास्तव में प्राप्त या प्राप्य आय या ट्रस्ट के खातों की पुस्तकों में प्रविष्टियों के अनुसार। परिणाम स्वरूप उस प्रश्न का उत्तर भी निर्धारिती के विरुद्ध और राजस्व के पक्ष में दिया गया।

निर्धारिती द्वारा कटौती के रूप में दावा किए गए ब्याज के हिस्से की अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष 1964-65 और 1966-67 में उत्पन्न होने वाले प्रश्न के संबंध में, उच्च न्यायालय ने पहले श्रीमती पद्मावती पद्मावती जयकृष्ण बनाम आयकर आयुक्त, [1975] 101 आई.टी.आर. 153 में अपने द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर भरोसा किया। पद्मावती जयकृष्ण बनाम अतिरिक्त आयकर आयुक्त, गुजरात, [1987] 166 आई.टी.आर. 176 मामले में इस न्यायालय द्वारा अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार किया गया था और इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की। उन कारणों के लिए जो उस मामले में इस न्यायालय के पक्ष में थे, हमें निर्धारिती के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में हमारे सामने दो अपीलों में प्रश्न का उत्तर देना होगा।

मूल्यांकन वर्ष 1964-65 के लिए उच्च न्यायालय को संदर्भित अतिरिक्त प्रश्न की ओर मुड़ते हुए, हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि निर्धारिती के हाथों में जो मूल्यांकन योग्य है वह निर्धारिती की ओर से प्राप्त ट्रस्ट की आय होनी चाहिए। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 161(1) से प्रकट है कि एक प्रतिनिधि निर्धारिती, यानी एक ट्रस्टी, उस आय के संबंध में जिसके संबंध में वह प्रतिनिधि निर्धारिती है, समान कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और देनदारियों के अधीन है जैसे कि आय प्राप्त आय थी या उसके लिए या उसके पक्ष में लाभकारी रूप से अर्जित करना, और वह उस आय के संबंध में अपने नाम पर मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है; लेकिन ऐसा कोई भी मूल्यांकन किया हुआ माना जाएगा। उस पर केवल उसकी प्रतिनिधि क्षमता में, और कर उस पर उसी तरीके से और उसी सीमा तक लगाया और वसूला जाता है, जिस सीमा तक वह उसके द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति पर लगाया और वसूल किया जा सकता है और अधिनियम की धारा 166 स्पष्ट करती है कि एक प्रतिनिधि निर्धारिती के दायित्व से संबंधित प्रावधान न तो उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष मूल्यांकन को रोकेंगे जिसकी ओर से या जिसके लाभ के लिए आय प्राप्य है, या ऐसे व्यक्ति से संबंध में ऐसी आय का देय कर की वसूली को नहीं रोकेंगे। आयकर अधिकारी के पास या तो ट्रस्टी के खिलाफ या लाभार्थी के खिलाफ आगे बढ़ने का विकल्प होता है, लेकिन दोनों ही मामलों में मूल्यांकन की जाने वाली आय एक ही आंकड़े में होनी चाहिए। ट्रस्टी को लाभार्थी से

संबंधित आय के रूप में जो प्राप्त होता है, वह उस आय को लाभार्थी को देने के दायित्व के तहत प्राप्त होता है। हालाँकि, ज्यादातर मामलों में प्रशासन शुल्क और खर्चों को ट्रस्ट की आय से पूरा किया जाना है और यह केवल शुद्ध आय है जो लाभार्थी तक पहुंचती है। यदि आय सीधे लाभार्थी के पास जाती है और किसी ट्रस्टी के माध्यम से ट्रस्ट के अधीन नहीं होती है, तो लाभार्थी को उन खर्चों को समान रूप से पूरा करना होगा, जिससे उसके हाथों में शुद्ध आय रह जाएगी, जिसे आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कम करने के बाद अधिनियम के तहत स्वीकार्य कटौतियों द्वारा सकल आय की गणना की जाएगी। हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह अहमदाबाद ट्रस्ट के खाते की किताबों में दिखाई गई आय नहीं है, जो वास्तव में अहमदाबाद ट्रस्ट के हाथों प्राप्त आय में से कटौती के बाद निर्धारिती को भुगतान की गई है, बल्कि अहमदाबाद की वास्तविक आय है। उस आय के संबंध में अनुमेय कटौती की विभिन्न वस्तुओं पर विचार करने के बाद ट्रस्ट को निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया जाना चाहिए। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह सही है।

परिणामस्वरूप, अपीलें विफल हो जाती हैं और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती हैं।

एच.एल.सी.

अपील खारिज की गई।



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।